प्रेस नोट थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद दिनांक 18-11-2021 ।

थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा बकरा चोरी करने वाले दो शातिर अभियुक्तो को मय बकरे के पुलिस मुठभेड़ मे अवैध अस्लाह व कारतूस के साथ गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में

दिनांक 15.11.2021 को वादिया श्रीमती कंठश्री पत्नी हीरालाल निवासी ग्राम रैपुरा थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद द्वारा बकरे को खेतो मे चराते समय अज्ञात मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 604/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया था। जिसका सफल अनावरण करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण मे थाना रामगढ पुलिस को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम मे थाना रामगढ पुलिस द्वारा दिनांक 17.11.2021 को मुखबिर की सूचना पर रैपुरा रोड मन्दिर के पास से लगभग 70 मीटर की दूरी पर थाना क्षेत्र रामगढ से बकरा चोरी करने वाले दोनो अभियुक्तो को मय मोटर साइकिल के बकरा बेचने जाते समय घेराबन्दी कर पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किया हुआ बकरा व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल व अवैध अस्लाह व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया तथा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण -

1.अफसर पुत्र वक्सी निवासी जाटऊ थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
2.पप्पू पुत्र मोहर सिह निवासी फतेहपुरा थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 604/21 धारा 379/411 भादवि थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद।
2. मु0अ0स0 608/2021 धारा 307 (पुलिस मुठभेड) 420/473 भादवि थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद।
3. मु0अ0स0 609/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद।

बरामदगीः-

1.01 अदद तमंचा 315 बोर मय 1 कार0 जिन्दा 315 बोर व 1 खोखा कार0 315 बोर
2. फर्जी नम्वर प्लेट की एक अदद मोटर साइकिल HF डिलेक्स
3. चोरी का बकरा सम्बन्धित मु0अ0सं0 604/21 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. एसओ हरवेन्द्र मिश्रा प्रभारी थाना रामगढ़ फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 सुशील कुमार थाना रामगढ फिरोजाबाद।
3. हे0का0 737 राजकुमार, का0 1330 योगेन्द्र सिंह थाना रामगढ फिरोजाबाद।